चित्रकूट-पुलिस

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों के कब्जे से 54 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अवधेश निषाद पुत्र बिहारीलाल निवासी डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 14 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री रमजानी खान थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रामचरन पुत्र पराग निवासी धोबहरा मजरा माराचन्द्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 यूटी0 श्री हर्षित मिश्रा थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त परशु पुत्र शिवमोहन निवासी धोबहरा मजरा माराचन्द्रा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में थाना राजापुर पुलिस टीम ने 01 चोर को चोरी के 1500/-रुपये अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 14.10.2023 को वादी श्रीमती राजरानी पत्नी बृजकिशोर निवासी नादिन कुर्मियांन थाना राजापुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना राजापुर में सूचना दी थी कि उनके घर से अज्ञात चोरों ने नगदी व सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिये गये है। इस सूचना के आधार पर थाना राजापुर में मु0अ0सं0 236/2023 धारा 457,380 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना एवं घटना के अनावरण हेतु उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह को निर्देशित किया गया। उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह द्वारा की गयी विवेचना के क्रम में विवेचना से प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह द्वारा अथक प्रयास करते हुये दिनाँक 06.05.2024 को विवेचना के क्रम में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त कल्लू पुत्र लोटनराम निवासी मीशन का डेरा मजरा चिल्लीराकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी से उसके कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01अदद कारतूस 315 बोर तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी के 1500/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के रुपये बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 के बढ़ोत्तरी की गयी तथा अवैध तमंचा कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं 105/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

कल्लू पुत्र लोटनराम निवासी मीशन का डेरा मजरा चिल्लीराकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1.चौरी का 1500/- रुपये

2. 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री कन्हैया बक्स सिंह थाना राजापुर

2.उ0नि0 श्री इमरान खान

3.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

4.आरक्षी शुभम मिश्रा

8.आरक्षी साकिर अली

(3). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष रैपुरा श्री शैलेन्द्र चन्द्र पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विकास कुमार प्रथम द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना रैपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2020 धारा 302 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त रामराज कुशवाहा पुत्र कामता प्रसाद निवासी खजुरिया कलां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.11.2020 को वादी रामराज कुशवाहा पुत्र कामता कुशवाहा निवासी खजुरिया कलां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा में सूचना दी थी कि उन्हे शक है कि मेरे गांव के ही संतोष पुत्र रामप्रसाद व सावित्री देवी पत्नी गप्पू उर्फ हरिमोहन व 05 अज्ञात लोगों ने उनकी पत्नी संगीता देवी की हत्या कर दी है। इस सूचना परथाना रैपुरा में मु0अ0सं0 139/2020 धारा 147,452,323,302 भादवि0 के बनाम बाइस्तेवा संतोष व सावित्रि देवी उपरोक्त व 05 अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालनी प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशील चन्द्र शर्मा द्वारा की गई। विवेचना से वादी मुकदमा रामराज उपरोक्त का नाम प्रकाश में आया तथा तथ्य प्रकास में आये कि संतोष एवं सावित्रि से उसका जमीनी विवाद था जिसके लिये वह रंजिशन उन्हे फंसाना चाह रहा था। दिनाँक 01.12.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुये मुकदमें धारा 147,452,323 भादवि का लोप किया गया तथा दिनाँक 08.01.2021 को आरोपी के विरुद्ध धारा 302 भादवि में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती अलबिया बानों पत्नी श्री मुस्तकीम निवासी जगदेवहास का अखाड़ा निवासी जगदेवहास का अखाड़ा छीपन मोहल्ला तरौंहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति मुस्कीम पुत्र इस्लाम निवासी फतेहगंज पैट्रोल पम्प के पास फतेहगंज जनपद बांदा के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट व दहेज के लिये प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव, महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्वों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांगनी श्रीवास्तव

3.महिल आरक्षी अनामिका सिंह

(5). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/"शक्ति दीदी" द्वारा विभिन्न

सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 07.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है ।

(6). भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आज दिनाँक 07.05.2024 को नगर पालिका परिषद कर्वी कार्यालय के पास से रन फार वोट मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा हरी झंडी दिखाकर नगर पालिका परिषद कर्वी से रवाना किया गया, रैली नगर पालिका परिषद कर्वी के पास से चलकर पुरानी बाजार,बस स्टाप, धनुष चौराहा होते हुए पटेल तिराहा पर समाप्त की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी ने कहा कि रैली का मुख्य उद्देश्य जनपद चित्रकूट में मतदान प्रतिशत को बढाना है, उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि 20 मई 2024 को अपने-अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अधिक से अधिक अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री रमेश सिंह,उप जिलाधिकारी श्री आलोक सिंह, क्षेत्रीय क्रीडा अधिकारी श्री विजय कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कर्वी श्री लाल जी यादव, अपर सांख्यिकी अधिकारी श्री बी एल यादव, सफाई निरीक्षक नगर पालिका परिषद कर्वी श्री कमलाकांत शुक्ला, सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष बहिपुरवा श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह द्वारा मु0अ0सं0 85/014 धारा 26 वन अधिनियम धारा 379,504,506 भादवि के वारण्टी अभियुक्त ददुराज पुत्र रामू यादव निवासी छोटी विलशरी थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह
2.उ0नि0 अनुभव वर्मा
3.आरक्षी रोहित यादव

(8). आज दिनांक 07.05.2024 को अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की अध्यक्षता में वैशाख अमावस्या मेला हेतु डियूटी में आए बाह्य जनपद एवं जनपद चित्रकूट के अधि0/कर्मचारीगणों की ब्रीफिंग की गयी। ब्रीफिंग के दौरान बाह्य जनपदों से आये पुलिस बल तथा जनपद चित्रकूट के पुलिस बल को अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने हेतु निर्देशित किया गया। सभी अपने-अपने डियूटी पॉइन्ट पर समय से पहुंचेगें तथा सतर्क रहकर ड्यूटी चार्ट के मुताबिक डियूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। डियूटी के दौरान सभी श्रद्धालुओं से नम्रतापूर्वक व्यवहार करें तथा डियूटी के दौरान कोई भी समस्या होती है तो अपने लाइजनिंग अफसर को अवगत कराते हुये उच्चाधिकारियों को सूचना दें।

ब्रीफिंग के दौरान क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(9). आज दिनाँक 07.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा थाना राजापुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा महिला हेल्प डेस्क, थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस कक्ष, बंदीगृह, मालखाना, प्रभारी निरीक्षक कक्ष, आवासीय परिसर का भ्रमण प्रभारी निरीक्षक राजापुर को रजिस्टरों को अद्यवधिक रखने तथा थाना परिसर की साफ-सफाई,ए0एस0 चेकिंग व इण्डेक्स तैयार करने एवं चुनाव सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(10). अपर जिलाधिकारी चित्रकूट एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा वैशाख अमावस्या मेला के दृष्टिगत रामघाट पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया
आज दिनांक 07.05.2024 को अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी नोडल अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की नेतृत्व में वैशाख अमावस्या मेला के दृष्टिगत रामघाट पर भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण को चेक कर सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।